PROSPECTUS

2022-23

SESSION

UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY

Combined Paramedical Selection Process - 2022-23

www.upsmfac.org | www.upsmfaccpsp.org

CONTACT INFO

5, Sarvpalli Mall Avenue Road,
Lucknow - 226001 (U.P.) India

upsmfaccpsp.help@gmail.com

TECHNICAL SUPPORT NO.
+91-7393846401

11:00 AM to 5:00 PM
(Working Days)

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षणों के शासकीय व निजी प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रवेश हेतु

संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया (CPSP) 2022–23

निर्देश एवं विवरण पुस्तिका

(आप इस विवरणिका को निःशुल्क डाउनलोड करके प्रिन्ट भी कर सकते है)

विशेषः–

- प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित) के अभ्यर्थियों का ही होगा। कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नही लिया जायेगा।
- इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग ग्रुप परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त हो (ये सभी उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के समकक्षता प्राप्त होना चाहिए) एवं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हों। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नही कर सकते।
- प्रवेश 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको के प्रतिशत के नार्मलाईजेशन के आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) के अनुसार होगा।
- उ0प्र0 में निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जायेगा।
- सम्पूर्ण प्रक्रिया आन–लाइन होगी। जिसमे प्रयुक्त कार्य विवरण एवं महत्वपूर्ण तिथियों के अनुसार सम्पन्न कराई जाऐंगी एवं अपरिहार्य कारणोंवश निर्धारित तिथियों मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्बन्धी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जायेगी। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित रुप से वेबसाइट https://upsmfac.org अथवा https://upsmfaccpsp.org का अवलोकन करते रहे।
- ऑनलाइन आवेदन में 10वीं तथा 12वीं के अंको को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।
- आवेदन शुल्क रु. 1000/– मात्र (Non Refundable) है। अभ्यर्थी ऑनलाइन (online) आवेदन–पत्र भरने के पूर्व दिशा–निर्देशों को भली–भांति पढ़ लें।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्व पल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001

https://upsmfac.org अथवा https://upsmfaccpsp.org

+91-7393 84 6401 (For Technical Help CPSP 2022-23 Online Application)

Timing: 11:00 AM to 5:00 PM (Working Days)

कार्य विवरण एंव महत्वपूर्ण तिथियां

(अपरिहार्य कारणोंवश निम्नांकित तिथियों मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित रुप से वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।)

क्र.स.	कार्य का विवरण	सम्भावित तिथियां
1.	ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	30 सितम्बर 2022
2.	ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि	09 अक्टूबर 2022
3.	ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि	10 अक्टूबर 2022 (सांय 05.00 बजे तक)
4.	आवेदन पत्र संशोधन की तिथि (अभ्यर्थी द्वारा स्वंय ऑनलाइन संशोधन स्वीकार्य होगा)	14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2022
5.	मेरिट सूची अस्थायी (Provisional) जारी करने की तिथि	18 अक्टूबर 2022
6.	मेरिट सूची अस्थायी (Provisional) जारी करने के पश्चात् अन्तिम संशोधन की तिथि (अभ्यर्थी द्वारा स्वंय ऑनलाइन संशोधन स्वीकार्य होगा)	19 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2022
7.	मेरिट सूची (स्थायी) जारी करने की तिथि	28 अक्टूबर 2022

काउन्सिलिंग की तिथियां

कुल तीन ऑनलाइन काउन्सिलिंग होगी, आवश्यकता पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सिलिंग भी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानान्तरण के लिए अर्ह होगा।

क्र.स.	विवरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1.	ऑनलाइन काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना	31 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2022 (सांय 05.00 बजे तक)	19 नवम्बर से 22 नवम्बर 2022 (सांय 05.00 बजे तक)	09 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2022 (सांय 05.00 बजे तक)
2.	ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग	31 अक्टूबर से 02 नवम्बर 2022	19 नवम्बर से 22 नवम्बर 2022	09 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2022
3	ऑनलाइन च्वाइस लॉकिंग	03 नवम्बर 2022	23 नवम्बर 2022	13 दिसम्बर 2022
4.	सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित	08 नवम्बर 2022	28 नवम्बर 2022	18 दिसम्बर 2022
5.	ऑनलाइन सिक्योरिटी फीस जमा करना	08 नवम्बर से 09 नवम्बर 2022	28 नवम्बर से 29 नवम्बर 2022	18 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2022
6.	प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर डाउनलोड करना	08 नवम्बर से 10 नवम्बर 2022	28 नवम्बर से 30 नवम्बर 2022	18 दिसम्बर से 20 दिसम्बर 2022
7.	आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिर्पोटिंग एवं निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क जमा करना	09 नवम्बर से 12 नवम्बर 2022	29 नवम्बर से 02 दिसम्बर 2022	19 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2022

प्रशिक्षणवार शिक्षण शुल्क एवं उपलब्ध सीटों की संख्या				
क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	शासकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर शिक्षण शुल्क (परिवर्तनीय)	शासकीय* प्रशिक्षण केन्द्रों मे उपलब्ध सीटे	निजी प्रशिक्षण* केन्द्रों मे उपलब्ध सीटे
1	DIPLOMA IN LAB TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	990	619
2	DIPLOMA IN PHARMACY	रु. 24000/– प्रतिवर्ष (रु. 45000/– प्रतिवर्ष निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर)	300	39
3	DIPLOMA IN X-RAY TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	729	478
4	DIPLOMA IN RADIO THERAPY TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	76	19
5	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
6	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
7	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
8	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	68	-
9	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	98	-
10	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
11	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	98	-
12	DIPLOMA IN OPTOMETRY	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	98	-
13	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
14	DIPLOMA IN SANITATION	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	38	-
15	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	90	-
16	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	रु. 24000/– प्रतिवर्ष	60	-

उपरोक्त शुल्क केवल पठ्न–पाठन Tution Fee के मद का है।

*उपरोक्त सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

वेबसाइट– उ0प्र0 स्टेट मेडिकल की वेबसाइट

https://upsmfac.org अथवा https://upsmfaccpsp.org है

महत्वपूर्ण सूचना

अभ्यर्थी सूचना विवरणिका का भली भांति अध्ययन करें।

1. संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश प्रक्रिया 2022–23 हेतु अभ्यर्थी **केवल** ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी ऑफलाइन आवेदन फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सूचना विवरणिका https://upsmfaccpsp.org वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है।
3. ऑनलाइन आवेदन करने सम्बन्धी निर्देश, सूचना विवरणिका एवं लिंक https://upsmfaccpsp.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगें।
4. ऑनलाइन आवेदन करते समय आधार नम्बर की आवश्यकता रहेगी।
5. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल स्वयं का मोबाइल नम्बर एवं ईमेल–आईडी का उपयोग करे। गलत मोबाइल नम्बर अथवा ईमेल–आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये परीक्षा निकाय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
6. डिमान्ड ड्राफ्ट/चेक/इण्डियन पोस्टल आर्डर/कैश इत्यादि द्वारा भेजा गया आवेदन शुल्क अमान्य है ऐसे आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रवेश सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियों एवं ऑनलाइन काउन्सिलिंग की जानकारी हेतु समय–समय पर https://upsmfaccpsp.org वेबसाइट को देखें/विजिट करें।
8. ऑनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि में ही अतिशीघ्र करें। अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें। निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद आवेदन फार्म जमा करने का कोई प्रावधान नहीं है।
9. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
10. आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है अन्यथा एक बार जमा की गयी फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी तथा निर्धारित अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- ✓ ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिये गये मानकों के अनुसार अपनी लेटेस्ट रंगीन फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करें। आवेदन पत्र भरने के निर्देशों का पालन करें।
- ✓ नियत तिथियों में आप भरे हुये आवेदन पत्रों मे संशोधन कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् नये आवेदन या संशोधन संभव नही होंगे।

<table>
<tr><th colspan="3">आवेदन, काउन्सिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (Application, Counselling and Registration Fee)
आवेदन एवं काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी स्थिति में वापस नही किया जायेगा ।</th></tr>
<tr><th>वर्ग</th><th>शुल्क (Non Refundable)</th><th>अभियुक्ति</th></tr>
<tr><td>सामान्य (UR), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)</td><td>रू0 1000.00</td><td rowspan="3">अतिरिक्त ट्रान्जेक्सन शुल्क आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।</td></tr>
<tr><td>ऑनलाइन काउन्सिलिंग (प्रत्येक) के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क</td><td>रजिस्ट्रेशन फीस (Rs. 500.00)</td></tr>
<tr><td>ऑफलाइन काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क</td><td>रजिस्ट्रेशन फीस (Rs. 700.00)</td></tr>
</table>

ऑनलाइन आवेदन की पद्धति

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to Apply online)

1. अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

(i) आवेदन पत्र भरने से पहले सूचना विवरणिका को Download करके भली भाँति पढ़ लें/समझ लें।

(ii) ऑनलाइन फार्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास अपना एक वैध मोबाइल नं0 एवं ईमेल आईडी होना आवश्यक है। फार्म भरने के दौरान ओटीपी (OTP) एवं रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 पर आयेगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 को काउन्सिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग से सम्बन्धित सारी सूचनाएं इसी मोबाइल नं0 पर भेजी जायेगी।

(iii) आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें।

- 10वीं का प्रमाणपत्र, 12वीं का प्रमाणपत्र केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित), यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) विकलांग (Physical Handicap-PH), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter-FF) अथवा , भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Army) श्रेणी (दिये हुए प्रमाण पत्र के अनुसार) के हैं, तो वे प्रमाण पत्र अपने पास रखना सुनिश्चित करें।
- अभ्यर्थी अपना लेटेस्ट रंगीन फोटो (100-200KB), हस्ताक्षर (50-100KB), और उक्त प्रमाण पत्र (100-200KB) जेपीजी (JPG) फार्मेट में स्कैन करके पेन ड्राइव अथवा कम्प्यूटर में सुरक्षित रख ले।
- फोटो दिनांक 30 सितम्बर, 2022 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम (Name),एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

जैसे–

RAM KUMAR SINGH
Date 30.09.2022

नोट–

1. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल (Valid) वैध मोबाइल नम्बर एवं ईमेल–आईडी का उपयोग करे। और मोबाइल को हमेशा सक्रिय रखें गलत मोबाइल नम्बर अथवा ईमेल–आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये परीक्षा निकाय की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।
2. अभ्यर्थी अपना सभी विवरण सही–सही से भरे। फाइनल सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते है।

आवेदन हेतु अन्य निर्देशः

(क) - श्रेणी / उपश्रेणी (Category / Sub-Category) का चयनः

(i) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (MAIN CATEGORY) को चुनें। जैसे कि UR/EWS /OBC /SC/ST

(ii) अभ्यर्थी अपनी उपश्रेणी (SUB CATEGORY)को चुनें। जैसे कि FF/PH/ Ex-Army

(iii) मेरिट सूची घोषित हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः आवेदन के समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें।

(ख) - फोटोग्राफ के सम्बंध में:

(i) अभ्यर्थी अपनी फोटो, जेपीजी (jpg) फार्मेट में स्कैन करें।

(ii) फोटो 30 सितम्बर 2022 से पहले की न हो तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

(iii) आवेदन–पत्र के लिए रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक छोटे कार्ड पर अपना नाम तथा फोटो खिंचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह सीने के पास में स्पष्ट रूप से अवश्य आये।

(iv) फोटो पर नाम व तारीख स्पष्ट लिखें परन्तु कम्प्यूटर से कंपोज न करें।

(v) फोटो खिचवाते समय कैप अथवा चश्मा न पहने।

(vi) फोटो की 15 प्रतियां बनवाकर रखें जो प्रवेश पत्र, काउन्सिलिंग, एवं प्रवेश सम्बन्धी अन्य आवश्कताओं में प्रयोग की जायेगी।

(ग) - हस्ताक्षर के संबन्ध में:

(i) अभ्यर्थी एक सफेद पेज पर काले रंग के ब्वाल प्वांट पेन से अपना हस्ताक्षर कर उसको जेपीजी (jpg) फार्मेट में स्कैन करे। जेपीजी (jpg) हस्ताक्षर की साइज 50-100 KB से अधिक नहीं हो।

(घ) –अन्यः

(i) यदि अभ्यर्थी से आवेदन करते समय कोई त्रुटि हुई है तो वह निर्धारित तिथियों में संशोधन कर सकता है। उसके बाद कोई भी संशोधन मान्य नहीं होगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते है तथा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सफल भी हो जाते हैं तो भी उन्हें निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही उनके द्वारा जमा शुल्क की वापसी की जायेगी। अभ्यर्थी का अर्हता पूरी न होने की दशा में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

1. ऑनलाइन आवेदन करने की क्रमवार विधि

Step 1: Download Information Brochure
Step 2: New Registration
Step 3: Login (Filling information, Qualification Details, Upload Documents)
Step 4: Application Fee Payment
Step 5: Print Application Form

Step 1: Download Information Brochure

(i) सूचना विवरणिका को डाउनलोड करें और उसका भली–भांति अध्ययन करें। अभ्यर्थी सूचना विवरणिका में निर्धारित अर्हता, आयु सीमा एवं निर्देशों को ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अवश्य अध्ययन करे। अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें।

Step 2: New Registration

(i) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबसाइट https://upsmfaccpsp.org/ पर जाये।

(ii) सर्वप्रथम New Registration पर क्लिक करे। इसके बाद अगले पेज पर अपने सभी विवरण (10वीं के प्रमाणपत्र के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि,) 12वीं_योग्यतासावधानी पूर्वक भरें तथा अपना मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

(iii) Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी (OTP) जायेगा। इस पेज पर अपने भरे हुए विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ ले यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो Back बटन पर क्लिक करें यदि सभी विवरण सही है तो OTP भर कर Submit बटन पर क्लिक करें।

(iv) मोबाइल नं0 वेरीफाई करने के बाद लॉगिन विवरण (Registration No./User ID and Password) आपके पंजीकृत मोबाइल एवं ईमेल पर जायेगा।

(v) अभ्यर्थी अपना लॉगिन विवरण सुरक्षित रखे तथा अन्य के साथ साझा न करें। अभ्यर्थी लॉगिन कर अपना पासवर्ड बदल सकता है।

Step 3: Login (Filling information, Qualification Details and Document Upload)

(i) New Registration की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को आवेदन करने हेतु Login करना होगा।

(ii) अभ्यर्थी अपना Registration No. एवं Password भर कर Login करें।

(iii) Login करने के बाद व्यक्तिगत विवरण (Personal Information) (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, जाति, उपश्रेणी जैसे– Physical Handicap-PH, Freedom Fighter-FF, एवं Ex-Army ,आधार नम्बर, शैक्षणिक विवरण पत्राचार का पता तथा स्थायी पता) भरें। समस्त विवरण भरने के बाद Submit & Next पर क्लिक करे।

*शैक्षणिक विवरण

High School	Note: In case of Grading System please convert it within Percentage.
Name of Board (बोर्ड का नाम)	UP Board/CBSE/ICSE/Other Board
Name of College(विद्यालय का नाम)	
Year of Passing(उत्तीर्ण वर्ष)	
Roll No(अनुक्रमांक)	
Obtained Marks(प्राप्तांक अंक)	
Maximum Marks(पूर्णांक)	
Percentage(प्रतिशत) Percentage - Enter only the Percentage (%) of Total Marks obtained. (Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. First, convert the Grading Marks in Percentage and then enter)	

शैक्षिक अर्हता:

इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग ग्रुप परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त हो (ये सभी उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के समकक्षता प्राप्त होनी चाहिए) एवं बायोलाजी ग्रुप अथवा गणित ग्रुप से भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान सहित विषयों से उत्तीर्ण हों। समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से विरत किया जा सकता है। 40% से कम अंक के अभ्यर्थी आवेदन नही कर सकते हैं।

Intermediate	Note: In case of Grading System please convert it into within Percentage.
Name of Board (बोर्ड का नाम)	
Name of College (विद्यालय का नाम)	
Year of Passing (उत्तीर्ण वर्ष)	
Roll No (अनुक्रमांक)	
Obtained Marks(प्राप्तांक अंक)	
Maximum Marks(पूर्णांक)	
Fill the Marks Entry deatils of Intermediate Subjects Note: Marks Obtained below must be entered out of 100, In case of Grading System please convert it.	
Physics Marks Obtained (भौतिक विज्ञान प्राप्तांक)	
Chemistry Marks Obtained (रसायन विज्ञान प्राप्तांक)	
Maths Marks Obtained (गणित प्राप्तांक) OR Biology Marks Obtained (बायोलोजी विज्ञान प्राप्तांक)	
Subject – 1 (Name of Subject-1) Subject – 1 Marks Obtained	
Subject – 2 (Name of Subject-2) Subject – 2 Marks Obtained	
Percentage(प्रतिशत) Percentage - Enter only the Percentage (%) of Total Marks obtained. (Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. First, convert the Grading Marks within Percentage and then enter)	

Note: Enter the Marks obtained within the respective Subjects out of 100.
(Do not enter Grades obtained by Grading System like GPA/CGPA etc. Convert the Grading Marks out of 100 and then enter)

(iv) अगले पेज पर डाक्यूमेंट अपलोड का फार्म खुल जायेगा। इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फोटो, हस्ताक्षर,, 10वीं का प्रमाणपत्र, 12 वीं का प्रमाणपत्र, पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (यदि लागू है तो), की जेपीजी (JPG) फॉरमेट में स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं Upload & Next पर क्लिक करे।

(v) विवरण भर जाने के बाद आपके आवेदन का विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। अपने सभी विवरण को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। यदि कोई विसंगति है तो तुरन्त सुधार कर सकते हैं अन्यथा Fee Process में जाने के बाद आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते है।

Step 4: Fee Payment

(i) उपरोक्त स्टेप 3 पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के लिये https://upsmfaccpsp.org/ पर Fee Payment पर क्लिक करें।

(ii) रजिस्ट्रेशन नं0 (Registration No.) और Password अंकित कर Submit करे।

(iii) इसके बाद आपके द्वारादिया गया सूचना विवरण खुल जायेगा। विवरण का मिलान करने के बाद फीस जमा करने के लिये Submit करें। पुनः दूसरा पृष्ठ खुल जाने के बाद Confirm पर क्लिक करे।

(iv) अगले पृष्ठ पर ऑनलाइन (डेबिट कार्ड UPI एवं नेट बैकिंग) पेमेन्ट का विकल्प चुन सकते है। ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड अथवा नेट बैकिंग के द्वारा फीस जमा कर सकते है।

Step 5: Print Application Form

फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट (Print) ले सकते है। आवेदन पत्र की 2 से अधिक प्रतियां निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।

आयु सीमा (Age Limit)

दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 17 वर्ष (17 वर्ष अथवा उससे अधिक) होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसम्बर 2005 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।

आरक्षण (Reservation)

1. आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम मान्य होंगे।
2. उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार आरक्षण प्रतिशत एवं तत्सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन का अधिकार उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के पास सुरक्षित है।
3. उन सभी अभ्यर्थियों को जो कि किसी भी श्रेणी में आरक्षण चाहते हों उनसे अपेक्षा की जाती है कि संलग्नको में दिये गये प्रपत्र सं0 # 1,2,3,4,5,6 में दिये गये प्रोफार्मो के अनुसार ही प्रमाण–पत्र संलग्न करे।
4. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में सम्बन्धित आरक्षण अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जायेगा।
5. आवेदन पत्र भरते समय निश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहतें है एवं अपनी पात्रता श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दे, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नही है।
6. केवल जाति सूचक शब्दों के लिखने से आरक्षण का लाभ नही दिया जा सकता। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक है।

7. **पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

क्र.सं.	**लम्बवत् आरक्षण (मुख्य श्रेणी)** वर्टिकल आरक्षण			क्र.सं.	**क्षैतिज आरक्षण (उप श्रेणी)** प्रत्येक मुख्य श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी को निम्नवत् आरक्षण देय होगा	
1.	अनुसूचित जाति (SC)	21%		1.	दिव्यांगजन*/(विकलांग) (PH)	5%
2.	अनुसूचित जनजाति (ST)	2%		2.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र (FF)	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%		3.	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Army)	1%
4.	अनारक्षित (UR)	40%				
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%				

8. अभ्यर्थी को सर्वप्रथम मुख्य श्रेणी का आरक्षण दिया जायेगा।
9. सभी पाठ्यक्रमों में लम्बवत आरक्षण (मुख्य श्रेणी) एवं क्षैतिज आरक्षण FF (स्वतंत्रता संग्राम), PH (विकलांग) एवं Ex-Army (भूतपूर्व सैनिकों) उप श्रेणी प्रदान किया जायेगा।
10. सीट आवंटन के दौरान उपश्रेणी (Sub Category) के अभ्यर्थियों को उच्च (High) मेरिट के आधार पर अनारक्षित (UR) सीट पर प्रवेश दिया जायेगा और यदि अभ्यर्थी की मेरिट कम है तो इस दशा मे उपश्रेणी हेतु निर्धारित सीट पर प्रवेश दिया जायेगा।
11. विशेष आरक्षण यथा स्वतंत्रता संग्राम–आश्रित, विकलांग व भूतपूर्व सैनिक के कुल प्रतिशत की मेरिट सूची के अनुसार निम्नवत् प्रवेश दिया जायेगा–

    प्रत्येक मुख्य श्रेणी (Main Category) के अन्तर्गत निर्धारित उपश्रेणी (Sub Category) सीट का आंवटन उसी मुख्य श्रेणी (Main Category) के अभ्यर्थी से भरी जायेगी।

    अर्थात UR PH को {UR,->UR PH} से, OBC PH को {UR, ->OBC, ->OBC PH} से, SC PH को {UR, ->SC, ->SC PH,} EWS PH को {UR, ->EWS, ->EWS PH} तथा STPH को {UR, ->ST, ->STPH} से भरा जायेगा।
12. मेरिट सूची घोषित हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। अतः आवेदन के समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें।
13. विभिन्न आरक्षित श्रेणी की सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थन करने वाले जितने अभ्यर्थी अनारक्षित (UR) सीटों के अभ्यर्थियों के समकक्ष मेरिट में स्थान प्राप्त कर लेते हैं उन सभी को सामान्य /अनारक्षित (UR) सीटों के सापेक्ष प्रवेशित माना जाएगा।
14. प्रवेश के समय आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश शासन के नवीनतम् शासनादेश के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के जाति प्रमाण पत्र शासनादेश के अनुरूप निर्धारित नवीनतम प्रारूप प्रमाण प्रपत्र सं0–2 (पृष्ठ सं0 #23) पर है। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण केन्द्र पर क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16. अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के जाति प्रमाण पत्र का निर्धारित प्रारूप प्रमाण प्रपत्र सं0–1 (पृष्ठ सं0 #23) पर है।

17. भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Army) निर्धारित प्रारूप के प्रमाण प्रपत्र सं0–4 (पृष्ठ सं0 #24) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
18. विकलांग /दिव्यांगजन (PH) का प्रमाण प्रपत्र सं0–5 (पृष्ठ सं0 #25) पर है।
19. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) के आश्रितों के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप के प्रमाण प्रपत्र सं0–3 (पृष्ठ सं0 #24) पर ही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. प्रशिक्षण केन्द्र व उनकी सीटों की संख्या उ0प्र0 शासन के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित की जाती है। इनमें उ0प्र0 शासन द्वारा कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिणाम घोषित करने के समय तत्कालीन शासनादेश के अनुरुप ही क्रियान्वयन प्रस्तावित होगा। आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो के लिए ई.डब्लू.एस-(EWS) कोटे मे अधिकतम 10 प्रतिशत के आरक्षण संबंधी शासनादेश सं0–1987–71–4–2019–158/2017 टी0सी0 दिनांक 12.12.2019 के अनुपालन हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप प्रमाण प्रपत्र सं0–6 (पृष्ठ सं0 #26) पर है, के अनुसार प्रमाणप पत्र प्रस्तुत करना होगा।
21. अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें अनुसूचित जाति में स्थानान्तरणीय होगीं। यदि इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में इन सीटों को सामान्य मेरिट सूची के आधार पर ही भरा जायेगा।
22. निर्धारित उपश्रेणी (FF/Ex-Army/PH) अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें मुख्य श्रेणी (Main Category) में स्थानान्तरणीय होगी।

23. तृतीय ऑनलाइन काउंसिलिंग के बाद अप्रवेशित सीटों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग **(OBC) अनुसुचित जाति (SC)** अनुसूचित जनजाति **(ST)** एवं आर्थिक रुप से कमजोर **(EWS)** अभ्यर्थियो के आभाव में शेष बची हुई सीटों को अनारक्षित श्रेणी **(UR)** में समायोजित करके विशेष ऑफलाइन काउंसिलिंग **(**MOPOP Round **)** से भरी जाऐंगी।

नोटः–

❖ प्रवेश प्रक्रिया के दौरान एवं काउन्सलिंग के समय यदि कोई ऐसी समस्या आती है जिसके निदान के सम्बन्ध में नियमों में कोई व्यवस्था नही है तो ऐसे प्रकरणों पर निर्णय आयोजक उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव द्वारा निर्धारित समिति में निहित होगा एवं प्रवेश के मामलों से सम्बन्धित अन्तिम निर्णय का अधिकार सचिव उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी का होगा।

❖ यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश/प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

प्रशिक्षणः

केवल एक तकनीकी शैक्षिक (Technical Education) योग्यता मात्र है। इसके उपरान्त अभ्यर्थी निजी अथवा सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने का पात्र हो जायेगा। प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है एवं प्रशिक्षण 2 वर्ष का है (डिप्लोमा इन सेनीटेशन–1 वर्षीय पाठ्यक्रम) उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी इसकी परीक्षक संस्था है। यह प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारन्टी नहीं है।

स्थायी मेरिट लिस्ट– अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज 10वीं तथा 12वीं के अलग–अलग बोर्ड (Board) जैसे, सी.बी.एस.सी, आई.सी.एस.सी./आई.एस.सी. इत्यादि के छात्रों द्वारा पाये गये प्राप्तांको के प्रतिशत को यू0पी0 बोर्ड के समतुल्य करने के लिए स्टैन्डर्ड सूत्र (Formula) से नार्मोलाइजेशन किया जायेगा। जिसके अनुसार मेरिट तैयार की जायेगी। यदि मेरिट मे अभ्यर्थियों के नार्मलाइजड Marks बराबर होते है तो वरिष्ठता सूची के लिए इण्टमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांको का निम्नलिखित क्रम में निर्णायक होगा–

भौतिक विज्ञान->रसायन विज्ञान ->जीव विज्ञान/गणित ->अधिकतम आयु -> अंग्रेजी की वर्णमाला नाम के अक्षर अनुसार।

काउन्सिलिंग: कुल तीन ऑनलाइन काउन्सिलिंग होगी, आवश्यकता पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सिलिंग भी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानान्तरण के लिए अर्ह होगा।

ऑनलाइन काउन्सिलिंग की पद्धति

(1) कुल तीन ऑनलाइन काउन्सिलिंग होगी, आवश्यकता पड़ने पर तथा सीटें रिक्त होने की दशा में विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सिलिंग भी की जा सकती है। एक अभ्यर्थी एक ही स्थानान्तरण के लिए अर्ह होगा।

(2) ऑनलाइन काउंसिलिंग के समय पंजीकृत मोबाइन नं0, ईमेल आईडी, रोल नं0 एवं जन्मतिथि को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें।

(3) अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।

Step 1: ऑनलाइन काउन्सिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration for Online Counselling)

(i) प्रत्येक ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

(ii) ऑनलाइन काउन्सिलिंग के पंजीकरण हेतु https://upsmfaccpsp.org पर New Registration for Counselling के लिंक को क्लिक करें।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सिलिंग के पंजीकरण के लिए अपने **Registration No**, जन्म तिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन (Login)करें।

(iv) ऑनलाइन काउन्सिलिंग में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति राउण्ड रू–500/– (Non-Refundable) काउन्सिलिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(v) काउन्सिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी तथा अभ्यर्थी लॉगिन कर च्वाइस फिलिंग कर सकेगा।

Step 2: ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (Online Choice Filling)

(i) जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण निर्धारित तिथि में हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 2 Online Choice Filling पर क्लिक करे। अगले पेज पर अपना Registration No, जन्मतिथि और पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें।

(ii) अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जायेगा। उस विवरण को मिलाने के बाद Choice filling बटन पर क्लिक करें।

(iii) अगले पृष्ठ पर च्वाइस फिल करने का फार्म खुल जायेगा। अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण का चुनाव कर सकते है। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में प्रशिक्षण केन्द्र (शासकीय/निजी) एवं प्रशिक्षण/विषय, सीट का चुनाव किया जायेगा उसी के क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी को विशेष ध्यान देना होगा।

(iv) च्वाइस फिलिंग करने के बाद Save बटन पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त च्वाइस सेव हो जायेगी और जब तक अभ्यर्थी स्वयं च्वाइस लॉक नहीं करता है तब तक सेव रहेगी। च्वाइस लॉक के अन्तिम निर्धारित तिथि में सेव च्वाइस को यदि अभ्यर्थी लॉक नहीं करता है तो वे अपने आप लॉक हो जायेगी।

(v) अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अन्दर अपने च्वाइस संशोधित कर सकता है। संशोधन के उपरान्त च्वाइस को सेव करना होगा।

(vi) अभ्यर्थी ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण/विषयों का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका में अर्हता संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी केवल उन्हीं विषयों का चुनाव करें जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण करते हो। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक च्वाइस फिलिंग करनी होगी।

Step 3: ऑनलाइन च्वाइस लॉकिंग (Online Choice Locking)

(i) च्वाइस फिलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के अन्तर्गत अपनी सेव की हुई च्वाइस लॉक Choice lock करना होगा।

(ii) च्वाइस लॉक करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी च्वाइस तथा उसके क्रम को भली भॉति देखकर ही च्वाइस लॉक करें। च्वाइस लॉक करने के उपरान्त उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

(iii) यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि में च्वाइस लॉक नहीं करता है तो च्वाइस लॉकिग की निर्धारित अंतिम तिथि में च्वाइस लॉक स्वतः Auto lock हो जायेगी।

Step 4: सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित (Seat allocation and Result declaration)

(i) अभ्यर्थी के मेरिट एवं च्वाइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन काउन्सिलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर अपना सीट आवंटन परिणाम देख सकता है।

Step 5: सिक्योरिटी फीस जमा करना (Security fees deposit)

(i) अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस (रू0 5000.00) ऑनलाइन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(ii) सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे।

(iii) सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन न जमा करने की स्थिति में सीट का आवंटन निरस्त माना जायेगा।

Step 6: प्रोविजनल एलोटमेन्ट लेटर डाउनलोड करना (Provisional Allotment letter)

(i) सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) अपने लॉगिन आई0डी0 से डाउनलोड कर सकते है।

Step 7: प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिर्पोटिंग एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन (Reporting)

(i) ऑनलाईन काउन्सिलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंच कर प्रवेश एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(ii) अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज (पृष्ठ सं0 #16 के अनुसार),अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) एवं डिपोजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद (Security Fee Receipt) के साथ सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करें।

(iii) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। सूचना विवरणिका में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(iv) प्रथम (काउन्सिलिंग) में सीट आंवटित होने के बाद अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही अपग्रेडेशन को लेने के लिए विकल्प भरना सम्भव होगा।

अपग्रेडेशन की प्रक्रियाः

1. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन का लाभ काउन्सिलिंग (ऑनलाइन/ऑफलाइन) में केवल एक बार ही मिलेगा।
2. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण/पाठयक्रम में प्रवेशित था उसी पाठयकम में प्रवेशित रहेगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेडिट हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी से भरी जायेगी। किसी भी दशा में अपग्रेडिट अभ्यर्थी का पूर्व में आंवटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश मिला है वहॉ पहुंच कर रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडिट सीट पर प्रवेश निरस्त हो जायेगा तथा पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडिट सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेडिट (दोनों) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
5. यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउन्सिलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा।
6. विशेष काउन्सिलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी, ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानान्तरित करते हुये मेरिट के आधार पर (उस अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले से) भरी जायेगी।
7. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात् पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से फीस रिफण्ड/दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा ।

द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी।
3. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रकिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हैं।
4. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिनका प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग

में सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई डाक्यूमेंट निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे राउंड की काउन्सिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो। लेकिन 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको के प्रतिशतो में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगी क्योकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

1. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात् सिक्योरिटी फीस रू0 5000.00 जमा नहीं की थी।
2. द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात् सिक्योरिटी फीस रू0 5000.00 जमा की परन्तु जिन्होने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रकिया पूरी नहीं की थी/रिपोर्टिंग नहीं की थी।
3. ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते है, जिनके डाक्यूमेन्ट प्रथम ऑनलाइन काउन्सिलिंग में फर्जी पाये गये।

तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी।
3. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हैं।
4. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यथी भाग ले सकते है जिनका प्रथम या द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सम्बधिंत प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई डाक्यूमेंट निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा अगले राउंड की काउन्सिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो । लेकिन 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांको के प्रतिशतो में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगी क्योकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

1. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस रू0 5000.00 जमा नहीं की थी।
2. तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग नहीं ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में सीट आवंटित होने के बाद सिक्योरिटी फीस रू0 5000.00 जमा की परन्तु जिन्होने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी/रिपोर्टिंग नहीं की थी।
3. ऐसे अभ्यर्थी तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते है, जिनके डाक्यूमेन्ट प्रथम/द्वितीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में फर्जी पाये गये।

विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सलिंग की पद्धति

1. ऑनलाइन काउन्सलिंग के तीन राउण्ड पूर्ण होने के उपरान्त विशेष ऑफलाइन काउन्सलिंग के माध्यम से सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश दिये जा सकते है।
2. विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग के लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट पर जाकर निर्धारित तिथि में रजिस्ट्रेशन

करना होगा।

3. ऑफलाइन काउन्सलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस (Rs. 700.00) ऑनलाइन जमा करनी होगी जिसके पश्चात निर्धारित तिथि पर अभ्यर्थी काउन्सलिंग हेतु काउन्सिलिंग लेटर (Counselling Letter) डाउनलोड़ कर सकते हैं।
4. जिन अभ्यर्थियों ने विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया हो वे निर्धारित तिथि में एवं स्थल पर काउन्सिलिंग हेतु उपस्थित होकर काउन्सिलिंग की प्रक्रिया में सहभागी हो सकते हैं।
5. जिन अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन किया हो किन्तु निर्धारित तिथि में वे ऑफलाइन काउन्सलिंग में सहभागिता नहीं दर्शाते हैं तो वे अनुपस्थित माने जायेगे।

विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउन्सिलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंच कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की हो तथा अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया, परन्तु उनको अपग्रेडेशन के द्वारा कोई सीट आवंटित नहीं हो सकी या अपग्रेडेशन नहीं मिला हो।
2. ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने पूर्व (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
3. ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने पूर्व (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) ऑनलाइन काउन्सिलिंग में प्रतिभाग किया था परन्तु उनको सीट आवंटित नहीं हुयी थी।
4. ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने पूर्व (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) काउन्सिलिंग में आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंच कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया था।
5. प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउन्सिलिंग में किसी अभ्यर्थी को सीट आवंटित हुई थी परन्तु वह किसी कारणवश प्रवेश नहीं ले पाये थे।
6. ऑफलाइन काउन्सिलिंग में ऐसे उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकते है जिन्होने अपग्रेडेशन के द्वारा आवंटित सीट पर किन्ही कारणवश प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं की हो।

विशेष ऑफलाइन (Mopop Round) काउन्सिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

1. ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डाक्यूमेंट प्रथम/द्वितीय/तृतीय काउन्सिलिंग में रिजेक्ट कर दिये गये।
2. ऐसे अभ्यर्थी ऑफलाइन काउन्सिलिंग में भाग नहीं ले सकते जिनके डाक्यूमेन्ट प्रथम/द्वितीय/तृतीय ऑनलाइन काउन्सिलिंग में फर्जी पाये गये।

सीट आवंटन के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाण पत्र

ऑनलाइन/ऑफलाइन/विशेष ऑफलाइन काउन्सिलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी दो छायाप्रति के साथ आंवटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें। दस्तावेजों की सूची निम्नवत है–

क. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र	
1	ऑनलाइन आवेदन फार्म (Online Application Form)	✓
2	आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter)	✓
3	निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क	

4	हाई स्कूल का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र	✓
5	इण्टरमीडियट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र केवल विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, जीव विज्ञान/गणित) के साथ उत्तीर्ण।	✓
6	जाति प्रमाण पत्र (केवल OBC, SC एवं ST अभ्यर्थियों के लिए) (यदि लागू हो)	✓
7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)	✓
8	अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र (PH, FF एवं Ex-Army अभ्यर्थियों के लिए)(यदि लागू हो)	✓
9	आधार कार्ड	✓
10	अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र	

10/- के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा–पत्र देना होगा

"मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय–समय पर पारित किये जायेंगे उनका मैं सम्मानपूर्वक पालन करुंगा/करुंगी तथा अच्छा आचरण बनायें रखकर कोई भी ऐसा कार्य नही करुंगा/करुंगी अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नही लूंग/लूंगी जिससे प्रशिक्षण के सुचारु रुप से संचालन में बाधा उत्पन्न हों अनुशासन हेतु जो भी कार्यवाही प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार की जायेगी, वह मुझे मान्य होगी।"

सीट आवंटित अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग करने के सम्बंध में

अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुंच कर प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

सीट आवंटन की प्रक्रियाः

1. ऑनलाइन काउन्सिलिंग में अभ्यर्थी की मेरिट तथा ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग के आधार आंवटित की जायेगी।
2. ऑफलाइन काउन्सिलिंग हेतु अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन कर निर्धारित तिथि में आयोजित काउन्सिलिंग स्थल पर उपस्थित हो कर प्रशिक्षण केन्द का चयन करना होगा।
3. यदि कोई अभ्यर्थी उपश्रेणी (SUB CATEGORY) Ex- Army/FF/PH से सम्बंध रखता है तो च्वाइस के आधार पर सीट आवंटन का क्रम निम्न होगाः– Ex- Army > FF >PH.
4. सभी पाठयक्रमों में निर्धारित उपश्रेणी (SUB CATEGORY) अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें मुख्य श्रेणी (Main Category) में स्थानान्तरणीय होगी।
5. अनुसूचित जनजाति (ST) के अभ्यर्थियों के अभाव में इनकी सीटें अनुसूचित जाति (SC) में स्थानान्तरणीय होंगी। यदि इसके उपरान्त भी सीटें रिक्त रह जाती हैं तो ऐसी दशा में इन सीटों को सामान्य मेरिट सूची के आधार पर ही भरा जायेगा।
6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सीटों को EWS अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो वे रिक्त सीटें अनारक्षित (UR) सीटों में स्थानान्तरणीय होगी।
7. तृतीय ऑनलाइन काउंसिलिंग के उपरान्त अप्रवेशित सीटो हेतु विशेष ऑफलाइन काउंसिलिंग (Mopop Round) आयोजित होगी। विशेष ऑफलाइन काउंसिलिंग शुरु करने से पूर्व समस्त सीटो (OBC)पिछड़ा वर्ग, (SC) अनुसूचित जाति, (ST) अनुसूचित जनजाति एवं (EWS) कमजोर

वर्ग की बची हुई सीटों को अनारक्षित सीटों मे समायोजित कर के (MOPOP Round) या ऑफलाइन काउंसिलिंग की जायेगी।

फीस समाहित/वापसी करने के सम्बन्ध में विवरण

1. यदि किसी अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और ऑनलाइन प्रारम्भिक फीस (Security Fee) रू0 5000.00 जमा करने के पश्चात सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में प्रारम्भिक फीस (Security Fee) रू0 5000.00 वापस नहीं की जायेगी।
2. अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से फीस रिफण्ड/दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा ।
3. **शिक्षण शुल्क की वापसी**– प्रवेश प्रक्रिया या काउन्सिलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश लेने के उपरान्त कोर्स छोड़ता है तो Security Fee (रू0 5000.00) को छोडकर, शिक्षण शुल्क में से 10% की कटौती कर सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा अभ्यर्थी को वापस किया जायेगा। परन्तु प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी कोर्स छोड़ता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नही किया जायेगा।

एन्टी रैगिंग के सम्बन्ध में

1. माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए प्रशिक्षण केन्द्र में रैगिंग पूर्णतयः प्रतिबन्धित/निषिद्ध है। प्रवेशित छात्रों एवं उनके अभिभावकों को उक्त के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों सम्बंधी महत्वपूर्ण सूचना

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल प्रशिक्षण की शासकीय व निजी प्रशिक्षण केन्द्रो मे प्रवेश हेतु वर्तमान में सीटों के विवरण निम्नवत् है–

डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण मे संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय/निजी	क्षमता*
1	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	Government	30
2	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	Government	100
3	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	25
4	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	100
5	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	Government	25
6	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	Government	25
7	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	Government	25
8	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	Government	25
9	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	100
10	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	100

11	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	100
12	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	Government	100
13	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	Government	30
14	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICALCOLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	Government	30
15	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	100
16	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	Government	25
17	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	Government	50
18	APEX PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19
19	BORA INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (SEWA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE), LUCKNOW	Private	7
20	CAREER COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	59
21	CH. KEHAR SINGH INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES & HOSPITAL, BAGHPAT	Private	7
22	F.H. COLLEGE OF PARAMEDICAL, AGRA	Private	19
23	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	39
24	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SITAPUR	Private	26
25	JEEVAN JYOTI PARAMEDICAL INSTITUTE, PRAYAGRAJ	Private	7
26	K.M.C. NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE, MAHARAJGANJ	Private	7
27	KRISHNA INSTITUTE OF NURSING SCIENCE AND RESEARCH, KANPUR	Private	7
28	KRITIKA NURSING COLLEGE, BAREILLY	Private	7
29	LIFE LINE EDUCATION INSTITUTE, AZAMGARH	Private	7
30	MAHENT AVAIDYANATH PARAMEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR	Private	19
31	MAYO COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	26
32	MERIDIAN NURSING & PARAMEDICAL COLLEGE, VARANASI	Private	19
33	NATIONAL CAPITAL REGION INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT	Private	19
34	PARK DIAGNOSTIC CENTER, LUCKNOW	Private	19
35	POPULAR NURSING SCHOOL AND PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19
36	RAMA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, KANPUR	Private	19
37	ROHILKHAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BAREILLY	Private	19
38	S.C.P.M. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, GONDA	Private	19
39	SAMARPAN INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	19
40	SANTOSH MEDICAL COLLEGE, GHAZIABAD	Private	30
41	SARDAR PATEL INSTITUTE OF PARA MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	39

42	SHRI BABU SINGH JAI SIGH NURSING & PARAMRDICAL COLLEGE, FARRUKHABAD	Private	7
43	ST. JOSEPH'S PARAMEDICAL INSTITUTE, GHAZIABAD	Private	19
44	SUBHARTI MEDICAL COLLEGE, MEERUT	Private	39
45	T.S. MISRA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, LUCKNOW	Private	39
46	VARUN ARJUN COLLEGE OF NURSING, SHAHJAHANPUR	Private	19
47	VATSALYA INSTITUTE OF NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES, ALLAHABAD	Private	19

डिप्लोमा इन एक्स–रे टेक्नीशियन प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय / निजी	क्षमता*
1	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	Government	30
2	B. R. D. MEDICAL COLLEGE ,GORAKHPUR	Government	38
3	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	38
4	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	75
5	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	Government	25
6	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	Government	25
7	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	Government	25
8	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	Government	25
9	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	75
10	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	50
11	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	75
12	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	Government	38
13	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	Government	30
14	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY SHAHJAHANPUR	Government	30
15	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	75
16	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	Government	25
17	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	Government	50
18	A.C.M.E. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BAREILLY	Private	7
19	A.H.M. COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BIJNOR	Private	7
20	BORA INSTITUTE OF ALLIED HEALTH SCIENCES (SEWA HOSPITAL & RESEARCH CENTRE), LUCKNOW	Private	19
21	CAREER COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	7
22	DAYARAM VERMA COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, AMBEDKAR NAGAR	Private	7
23	FUTURE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BAREILLY	Private	7
24	G.M.S. COLLEGE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES, AMROHA	Private	19

25	G.S.R.M. MEMORIAL INSTITUTE OF NURSING AND PARAMEDICAL SCIENCES AND HOSPITAL, LUCKNOW	Private	19
26	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	19
27	HIND INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SITAPUR	Private	26
28	I.I.M.T. COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, MEERUT	Private	19
29	K.M.C. NURSING AND PARAMEDICAL INSTITUTE, MAHARAJGANJ	Private	7
30	LIFE LINE EDUCATION INSTITUTE, AZAMGARH	Private	7
31	MAYO COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES, BARABANKI	Private	26
32	R.M.L. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SHAHJAHANPUR	Private	7
33	RAMA INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, KANPUR	Private	19
34	ROHILKHAND MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, BAREILLY	Private	19
35	S. M. NURSING COLLEGE, MATHURA	Private	19
36	SAHARANPUR HOSPITAL AND NURSING COLLEGE, SAHARANPUR	Private	7
37	SANTOSH MEDICAL COLLEGE, GHAZIABAD	Private	30
38	SARDAR PATEL INSTITUTE OF PARA MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Private	39
39	SHRI BABU SINGH JAI SIGH NURSING & PARAMRDICAL COLLEGE, FARRUKHABAD	Private	19
40	SMT. LATA CHARITABLE HOSPITAL AND NURSING COLLEGE, SAHARANPUR	Private	7
41	SRI SIDDHIVINAYAK INSTITUTE OF PARAMEDICAL STUDIES, BAREILLY	Private	19
42	SUBHARTI MEDICAL COLLEGE, MEERUT	Private	39
43	T.S. MISRA MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, LUCKNOW	Private	39
44	VARUN ARJUN COLLEGE OF NURSING, SHAHJAHANPUR	Private	19

डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय/निजी	क्षमता*
1	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	13
2	J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR	Government	25
3	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	Government	38
4	APEX PARAMEDICAL INSTITUTE, VARANASI	Private	19

डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षण में संस्थावार सीटों का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण संस्थान का नाम	शासकीय/निजी	क्षमता*
1	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	Government	75
2	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	Government	75
3	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	Government	75
4	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	Government	75
5	INSTITUTE OF PARA MEDICAL, CHINHAT , LUCKNOW	Private	39

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं इस्टीट्यूट आफ पैरामेडिकल साइंस लखनऊ में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण के विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्षमता*
1	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
2	DIPLOMA IN BLOOD TRANSFUSION TECHNICIAN	38
3	DIPLOMA IN C.T. SCAN TECHNICIAN	38
4	DIPLOMA IN CARDIOLOGY TECHNICIAN	38
5	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	38
6	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	38
7	DIPLOMA IN M.R.I. TECHNICIAN	38
8	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	38
9	DIPLOMA IN OPTOMETRY	38
10	DIPLOMA IN PHYSIOTHERAPY	38
11	DIPLOMA IN SANITATION	38

प0 राम प्रसाद बिस्मिल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट शाहजहांपुर में संचालित अन्य डिप्लोमा प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्षमता*
1	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
2	DIPLOMA IN DIALYSIS TECHNICIAN	30
3	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
4	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
5	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
6	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30

ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद में संचालित अनय डिप्लोम प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत् है–

क्र.सं.	प्रशिक्षण का नाम	क्षमता*
1	DIPLOMA IN ANAESTHESIA AND CRITICAL CARE TECHNICIAN	30
2	DIPLOMA IN EMERGENCY & TRAUMA CARE TECHNICIAN	30
3	DIPLOMA IN O. T. TECHNICIAN	30
4	DIPLOMA IN OPTOMETRY	30
5	DIPLOMA IN ORTHOPAEDIC AND PLASTER TECHNICIAN	30

*उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र एवं सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है
अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

प्रपत्र सं0 1

(उत्तर प्रदेश की अनुसूचित तथा जनजाति के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ (संविधान) अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश (आदेश) 1987 के अनुसार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

प्रपत्र सं0 2

(उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तर प्रदेश राज्य की .... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं, यह जाति उत्तर प्रदेश की लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 की अनूसूची 1 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ....उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची 2 (अधिसूचना संख्या 22 / 16 / 12–का–2 / 1995–टी0सी0 दिनांक 8 दिसम्बर, 1985 द्वारा यथा संशोधित) से आच्छादित नहीं है। श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... में सामान्यतया रहता है।

श्री / श्रीमती / कुमारी .... तथा / अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान ....
दिनांक ....
मुहर ....

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पद नाम ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी
सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

प्रपत्र सं0 3

(स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

स्वतंत्रता संग्राम सेनारियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी .... पुत्र / पुत्री / पौत्र अविवाहित पुत्र उपरांकित अधिनियम 1993 के ही प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रा संग्राम सेनानी) .... के आश्रित हैं।

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पद नाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(सील)

प्रपत्र सं0 4

(भूतपूर्व सैनिकों के लिये प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री... निवासी .... सेना की सक्रिय सेवाकाल (जल / नभ / थल) में रहे हैं। वर्तमान में उक्त पद से सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

अभ्यर्थी के पूर्ण हस्ताक्षर ....

दिनांक ....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

सील

प्रमाणित किया जाता है कि श्री...पुत्र श्री... निवासी...ने भारतीय...............................सेना की सक्रिय सेवाकाल...वर्ष रहा है। वर्तमान में उक्त पद से (जल / नभ / थल) सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

दिनांक ....

सेवा के संबन्धित यूनिट के अधिकारी के हस्ताक्षर तथा सील

पूरा नाम ....

पद नाम सील ....

प्रपत्र सं0–5

शारीरिक दिव्यांगजन (PWD)/ विकलांग (PH) के अधिमान के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप
(मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु0...पुत्र/पुत्री श्री..
.....नीचे लिखे कारणों से शारीरिक रूप से दिव्यांगजन है। ....
....
.............यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त दिव्यांगजन स्थिति अभ्यर्थी के शिक्षा प्राप्त करने में बाधक नहीं होगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर :

दिनांक : हस्ताक्षर :

स्थान : नाम :

मोहर :

नोट–दिव्यांगजन अभ्यर्थी को विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

प्रपत्र सं0–6

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-...............................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पति/पुत्री .... ग्राम/कस्बा.. पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड............................ के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का-पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी
5, सर्व पल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ–226001,
www.upsmfac.org अथवा https://upsmfaccpsp.org

Technical Support No. +91-7393846401
(For technical Help CPSP-2022-23 Online Application)
Timing: 11:00 AM to 5:00 PM (Working Days)